## प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

050- विद्याधर नगर विधानसभा निर्वाचन- क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्रीमती दिया कुमारी

944, सिटी पैलेस, जंतर मंतर के पास, जयपुर-302002

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडी की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थानः- कॉमर्स कॉलेज, जयपुर तारीखः- 03.12.2023

(सुनील शर्मा) रिट्रिन अधिकार रिट्रिन आकिता रिट्रिन आकिता विधानसम्भाव क्षेत्र्य १० १० विद्याधर नगर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर(मु.), जयपुर

## Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 50- VIDHYADHAR NAGAR Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that SMT. DIYA KUMARI

944, CITY PALACE, NEAR JANTAR MANTAR, JAIPUR- 302002, sponsored by BHARTIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Commerce College, Jaipur Date- 03-12-2023

Assistant Collector & Executive Magistrate
Amer(HQ.), Jaipur